



2026:AHC:65548

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

3021 वर्ष 2026

मोहम्मद अकरम आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: जय प्रकाश पांडे, उमेश चंद्र तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 64

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता और श्री अनुपम आनंद, राज्य-प्रतिपक्षी के विद्वान ब्रीफ होल्डर के अधिवक्ता को सुना, और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन केस अपराध संख्या-50 वर्ष 2025 में धारा 191(2), 191(3), 190, 333, 109, 115(2), 117(2), 352, 351(3), 324(4), 118(1) बी.एन.एस.एस. और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, थाना-कुंवरगांव, जिला बदायूं के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने सात नामित अभियुक्तों के साथ तीन व्यक्तियों पर हमला करने का आरोप लगाया है, जिनके नाम सूचनाकर्ता हैं- खुशी नसीब, साजिया और नाजिया। साजिया और नजिया की मेडिकल रिपोर्ट के साथ-साथ पूरक चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें लगी चोटें प्रकृति में साधारण थीं। घायल- खस नसीब को तीन चोटें आईं। चोट संख्या-1 और 2 प्रकृति में सरल थीं। चोट संख्या-3 को एक्स-रे जांच के लिए भेजा गया था। एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, बाएं हाथ की उंगली में तीसरी मेटाकार्पल हड्डी का फ्रैक्चर देखा गया था। आवेदक को एक अस्पष्ट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भूमिका सौंपी गई है। यह तर्क दिया गया है कि खस नसीब की चोट संख्या-3 प्रकृति में गंभीर थी लेकिन जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी। तीन घायलों की चोटों की प्रकृति से पता चलता है कि हत्या का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा, जांच के दौरान आवेदक को आपराधिक प्रकीर्ण में पारित दिनांक 24.09.2025 के आदेश द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक अग्रिम जमानत दी गई थी। अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या-7857 वर्ष 2025 के तहत मो. अकरम बनाम उत्तर प्रदेश की जांच पूरी हो चुकी है। आवेदक ने जांच में सहयोग किया था। आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को संबंधित अदालत द्वारा तलब किया गया है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को हलफनामे के प्रस्तर-19 में समझाया गया है। आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

4. राज्य के विद्वान ब्रीफ होल्डर ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन अभिलेखों से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सके।

5. किए गए प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के आरोपों और पूर्ववृत्त की प्रकृति पर विचार करते हुए और विशेष रूप से, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साजिया और नजिया की मेडिकल रिपोर्ट के साथ-साथ पूरक चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त चोटें प्रकृति में सरल थीं; घायल खुस नसीब को तीन चोटें आईं, चोट संख्या-1 और 2 प्रकृति में सरल थीं, जबकि चोट संख्या-3 को एक्स-रे परीक्षा के लिए भेजा गया था और एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, बाएं हाथ की उंगली में तीसरी मेटाकार्पल हड्डी का फ्रैक्चर देखा गया था; आवेदक को एक अस्पष्ट भूमिका सौंपी गई है; खस नसीब की चोट संख्या-3 प्रकृति में गंभीर थी लेकिन जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी; जांच के दौरान आवेदक को इस न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक अग्रिम जमानत दी गई थी; जांच पूरी हो चुकी है; आवेदक ने जांच में सहयोग किया था; राज्य के लिए विद्वान ब्रीफ धारक द्वारा अग्रिम जमानत की शर्तों के उल्लंघन की ओर इशारा नहीं किया गया है और किसी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।



6. गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक- मो. अकरम, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर: -

(i) आवेदक संबंधित न्यायालय द्वारा मामले में निर्धारित प्रत्येक तारीख पर स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि न्यायालय को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा किया जाएगा।

7. इसके अलावा, किसी भी शर्त के उल्लंघन में, संबंधित न्यायालय इसे लागू करने और बाध्य करने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

8. आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

एसकेटी/-

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)